

सहायक
आबूरोड (सिरोही)

16/5/25 पत्रावली पेश
पत्रावली पूर्व क्रि.स. ही
पत्रावली हेतु दिनांक 16/5/25 को पेश हो

16/5/25

पत्रावली पेश हुई। आज वकील मण्डल सहायक कलेक्टर
द्वारा स्पष्ट करने से पत्रावली आबूरोड (सिरोही)
आयन्दा दिनांक 20/5/25 को पेश हो।

20/5/25 पत्रावली पूर्व क्रि.स. ही
पत्रावली हेतु दिनांक 20/5/25 को पेश हो

(सिरोही) आबूरोड

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

20/5/25

पत्रावली पेश
पत्रावली का आवक क्रि.स. गणना
पत्रावली में दिनांक 29/08/2024
से वादी की प्रतिकृति संख्या 109
के वारिसान की स्वयं पेश करने हेतु
पर्याप्त ठेका दिनांक गणना वादी/वकील



सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

अधिकतर द्वारा आदिनांक तक उच्च मूल
प्रतिक्रिया सं. 09 के वारिसान की स्वयं
पेश नहीं की है। वाद का यदि वादी पर
होता है। वादी का कर्तव्य है कि वह
सम्भावित में मूल प्रतिक्रिया के वारिसानों
की स्वयं पेश करे। जिससे कि संमल पर
प्रकरण का निस्तार हो सके। एवं
अनावश्यक क्लेश न हो। फतावकी
के अकालोकन से स्पष्ट है कि वादी
स्वयं अपने स्तर से वाद चलाने हेतु
स्वयं नहीं ले रहा है।

नोट: फतावकी के अदम तकमील
में खारीज की जाती है।

फतावकी के मूल श्रुतार होकर
नेवर से कम है।
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)